राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(2)वित्त(नियम)/2020 पार्ट–II **जयपुर, दिनांक :** 7 DEC 2021

आदेश

विषयः राज्य से बाहर स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।

नई दिल्ली स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 9(2) में यह प्रावधान है कि वहां पदस्थापित कार्मिकों को Appendix - XII में उल्लेखित निजी चिकित्सालयों / क्लीनिक में जांच कराने पर व्यय की गई राशि का पुनर्भरण किया जायेगा। RGHS लागू होने के उपरान्त राज्य से बाहर स्थित कार्यालयों के कार्मिकों हेतु Health Care Network Provider एवं फार्मा स्टोर अधिकृत नहीं होने से कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने में कठिनाई हो रही है। Health Care Network Provider के रूप में राज्य से बाहर के राजकीय चिकित्सालय भी RGHS पोर्टल में कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में RGHS Portal से जुड़े हुए नहीं हैं। इन कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत पुनर्भरण के दावे प्रस्तुत करने के लिये RGHS पोर्टल में अभी आवश्यक मोड्यूल विकसित होने में कुछ समय लगना संभावित है।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में कर्मचारियों के चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार तथा चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में राज्य के बाहर स्थित कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों की कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :

1 राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 9(2) सपठित Appendix - XII में जो चिकित्सालय / लैब नई दिल्ली के कार्मिकों के लिये वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 16–7–2021 से पूर्व अधिकृत थे उनमें कराई जाचों के पुनर्भरण को यथावत रखा जाता है।

2. कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र संख्या–5 क्रमांक प. 1(240)/Medical/RGHS/2021/1219&1227 दिनांक 18–10–2021 (परिशिष्ट- 1) जो दिनांक 1–1–2004 व उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त हुए कार्मिकों के चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण से संबंधित है, के अनुरूप ही दिनांक 1–1–2004 से पूर्व नियुक्त RGHS कार्ड धारक कार्मिकों हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :

- SSO ID से लॉग–इन करेंगे।
- SIPF पोर्टल पर क्लिक कर RGHS Claim मोड्यूल पर indoor एवं outdoor संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए दावा ऑन लाइन सबमिट करने पर यूनिक दावा संख्या प्राप्त होगी।
- दावा संख्या जनरेट होने पर दावे की हार्ड कॉपी दस्तावेज यथा चिकित्सक से प्राप्त प्रमाणित दावा प्रपत्र, मूल डिस्चार्ज टिकिट, फाइनल मूल बिल, मूल जांच रिपोर्ट, दवा पर्चियां, बैंक पासबुक अथवा निरस्त चैक, इम्प्लाट्स इनवाइस, स्टिकर आदि संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को जमा करायेंगे।
- आहरण वितरण अधिकारी इन दावा प्रपत्रों की जांच कर टी.पी.ए. को ऑन लाइन अग्रेषित करेगा।
- टी.पी.ए. द्वारा दावा प्रोसेस किये जाने के पश्चात् Portal से फ्लॉट जारी कर कार्यालय द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में ऑन लाइन राशि हस्तांतरित करवा दी जायेगी।

3. चिकित्सीय दावों का पुनर्भरण RGHS के मद से उपरोक्तानुसार परियोजना निदेशक, RGHS द्वारा किया जायेगा। RGHS में कैशलेस मेडिकल सुविधा एवं/अथवा पुनर्भरण हेतु नवीन मोड्यूल विकसित होने तक तदनुसार चिकित्सा दावों का पुनर्भरण किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

7/12/2021

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 51 / 2021)

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

(आरजीएचएस)

द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

फोन:– 0141-2744570 email: add.dir.rghs@rajasthan.gov.in
website:www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांक:–एफ1(240)/मेडि./आरजीएचएस/2021/1219 – 1227 दिनांक:– 19/10/21

परिपत्र-5/2021

वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या F.5 (5) FD/ Insurance/ 2020 दिनांक 09.04.2021 की अनुपालना में माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों, पूर्व विधायकों, अखिल भारतीय एवं न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, राजकीय और स्वायत्तशासी संस्थानों के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिक जिन पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) लागू है, को दिनांक 01.07.2021 से समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में RGHS के अन्तर्गत कैशलेस Indoor/Day-Care चिकित्सा सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।

अधिसूचना के बिन्दु 4 के अनुसार किसी RGHS के लाभार्थी जो दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त है, नें दिनांक 30.09.2121 के पश्चात् नकद भुगतान कर ईलाज करवा लिया है, को सामान्य परिस्थिति में पुनर्भरण देय नहीं होगा जबकि उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध थी किन्तु नियमों के अन्तर्गत मानी गयी आपातकालीन परिस्थितियों में अथवा अन्य आपवादिक परिस्थितियों में नगद भुगतान कर हॉस्पिटल में ईलाज प्राप्त कर लिया है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थियों से ऑनलाईन दावें सब्मिट करवाकर भुगतान योग्य राशि का पुनर्भरण किया जायेगा।

इसके संबंध में उल्लेखनीय हैं कि RGHS के वे लाभार्थी जो दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त है के द्वारा विशेष परिस्थितियों में 30.09.2021 तक नकद भुगतान कर इनडोर इलाज करवा लिया गया है, आरजीएचएस पोर्टल पर आगामी व्यवस्था तक उनके दावों के पुनर्भरण की SIPF के पोर्टल पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार निम्नानुसार होगी।

- SSOID से लॉग–इन करेंगे
- SIPF पोर्टल पर क्लिक कर RGHS Claim मॉड्यूल पर समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए दावा ऑनलाइन सब्मिट करने पर यूनिक दावा संख्या प्राप्त होगी।
- दावा संख्या ज़नरेट होने पर दावे की हार्ड कॉपी दस्तावेज यथा चिकित्सक से प्रमाणित दावा प्रपत्र, मूल डिस्चार्ज टिकट, फाईनल मूल बिल, मूल जाँच रिपोर्ट, दवा पर्चियां, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज की स्थिति में चिकित्सक द्वारा जारी आपातकालीन प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक अथवा निरस्त चैक, इंप्लांट्स इनवॉईस, स्टीकर आदि) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को जमा कराएंगे।
- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इन दावा प्रपत्रों की जांच कर टी.पी.ए. को ऑनलाईन अग्रेषित करेगा।
- टी.पी.ए. द्वारा दावा प्रोसेस किये जाने के पश्चात Portal से फ्लॉट जारी कर कार्यालय द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाईन राशि हस्तांतरित करवा दी जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है कि यह व्यवस्था मात्र इनडोर/डे–केयर ईलाज के दावों के लिए ही है एवं पुनर्भरण के दावों के लिए आवेदन हेतु लाभार्थी का *RGHS में पंजीकरण अनिवार्य है*। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.12.2021 के पश्चात् इस दिनांक से पूर्व के पुनर्भरण के किसी भी प्रकार के दावे स्वीकार्य नहीं होगें।

उपरोक्त व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी।

संलग्न :– 1. दावा प्रपत्र प्रारूप
2. आपातकालीन परिस्थितियों में करवाये गये ईलाज हेतु शपथ–पत्र।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (RGHS)
राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग

क्रमांकः–एफ1(240)/मेडि./आरजीएचएस/2021/1919–1927 दिनांकः– 18/10/21

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
9. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/ परियोजना/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग
10. रक्षित पत्रावली

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (RGHS)